

कार्यालय अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा (बोकारो)

दिनांक 15/07/2024-25

साहन मण्डल बनाम अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा

दिनांक	परामित्तारी का आदेश राब हस्ताक्षर	कार्यालय की दिप्पण
03.7.24	आवेदक साहन मण्डल, हाठ + पगे तेलो माला-चन्द्रपुरा जिला-बोकारो द्वारा समर्पित आवेदन का अवलोकन किया। आवेदन में उल्लेखित अंकित किया गया है कि उनकी पत्नी के नाम पर वही भूमि जिसका प्लॉट नं 249 प्लॉट नं 4846 रकबा 0.08 एवं प्लॉट नं 214 प्लॉट नं 6878 रकबा 0.26 1/2 एकड़ कुल रकबा 0.34 1/2 एकड़ भूमि पर ऑन लाइन नं 4846 के प्लॉट नं 4846 के प्लॉट नं 6846 दर्ज हो गया है। उनके द्वारा वही प्लॉट 4846 ऑन लाइन दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक सह अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन की मांग को अतिरिक्त दिनांक 24/8/24 को (वे) अंचल अधिकारी	

22/8/24

27/11/24

राजस्थान उप निवेशक- जेए- प्रभात
अंशदा निवेशक से जॉय प्रवेदन
प्राप्त हुआ, जिसका आवेदन किया।
आवेदक को लाभ प्राप्त हुआ
को राजस्थान कागजात प्रस्तुत करने
हुए कोविदा निर्गत करें।

अगिले दिनांक 25/11/24 को
रहे।


अंशदा अधिकारी
म-534

25/11/24

अगिले उपस्थित किया गया।
आवेदक से यदि संबंधी राजस्थान कागजात
अप्राप्त है।
अगिले दिनांक 29/11/24 को रहे।

अंशदा अधिकारी
म-534

30/11/24

अभिज्ञेय उपस्थापित किया गया,
आवेदक सोहन मंडल उपस्थित /

आवेदक आा प्रस्तुत श्रुति पत्र की दावापत्र
तथा केवाला सं० 5452 दिनांक 03.08.2006 में
मौजा - तेलो खाना सं० 149 प्लॉट सं० 4846
रकबा 6.08 ए० अंशित है।

रा० उप० नि० -ख० - प्रगरी अंचल विरोधक आा
समापित जौन प्रविदेन में प्रविदेन किया गया
है, कि रोहनी देवी पति सोहन मंडल के नाम
से केवाला सं० 5452 दिनांक 03.08.2006 से
छप की गई शरी का दा० ला० वा० से० 348/2008-09
से दा० ला० होकर लगान खीद कर रहा है।
Online पंजी - II में प्लॉट सं० 4846 के स्थान
पर 6846 हो गया है। जिले सुधार का 4846
कानों का अनुमोद किया ~~का~~ किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में Online
पंजी - II में वांछित सुधार हेतु आदेश पारित किया
जाता है, रा० उप० नि० एवं अ० विरोधक को
निर्देश दिया जाता है कि पंजी - II में वांछित
सुधार का प्रविदेन मीधु Online समापित हो
अभिज्ञेय की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

5/12/24
R.S.I/C.N.

29/11/24